

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या-3346/सेक-2-पाँच-13-4(180)/2012
लखनऊ :: दिनांक 23 अगस्त, 2013

कार्यालय ज्ञाप

ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से प्रभावित गोरखपुर मण्डल में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित पद एवं स्थान पर तैनात चिकित्साधिकारियों को उक्त रोग की प्रभावी रोकथाम हेतु जनहित में तात्कालिक प्रभाव से दिनांक 30.09.2013 तक बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एतद्वारा सम्बद्ध किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्सा अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2	3
1.	डा० प्रेम पाल	सी०एच०सी० रामसनेही घाट, बाराबंकी।
2.	डा० शम्भू दयाल/11588/लेवल-2	सी०एच०सी० त्रिवेदीगंज, बाराबंकी।
3.	डा० के०सी० जायसवाल/लेवल-1	सी०एच०सी० फतेहपुर, बाराबंकी।
4.	डा० रामानुज कनौजिया/10731/ले०-2	सी०एच०सी० सिरौली गौसपुर, बाराबंकी।
5.	डा० अमित कुमार/लेवल-1	जिला चिकित्सालय, बाराबंकी।
6.	डा० शशांक कुमार/11609/लेवल-3	जिला चिकित्सालय, बाराबंकी।
7.	डा० देवेन्द्र मणि/लेवल-1	सी०एच०सी०, फूलपुर, इलाहाबाद।
8.	डा० हर्षित द्विवेदी/लेवल-1	सी०एच०सी०, कौधियारा, इलाहाबाद।
9.	डा० तरुण पाठक/10532/लेवल-3	अधीन सी०एम०ओ०, इलाहाबाद।
10.	डा० वी०के० मिश्रा/9857/लेवल-3	अधीक्षक, सी०एच०सी०, चौक, इलाहाबाद।

2- उक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने सम्बद्धता के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायें।

मधु जोशी
संयुक्त सचिव।

संख्या-3346(1)/सेक-2-पाँच-13, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
3. निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद/इलाहाबाद/गोरखपुर मण्डल।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी/इलाहाबाद/गोरखपुर।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बाराबंकी।
7. प्रधानाचार्य, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
8. कोषाधिकारी, बाराबंकी/इलाहाबाद/गोरखपुर।
9. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
10. समस्त संबंधित चिकित्साधिकारी।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ संबंधित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल/चिकित्सा अनुभाग-3/8।

आज्ञा से,
मधु जोशी
(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।